न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 16/2010 **RCMS 2010/00036**

वादीया

1. श्रवणराम पुत्र गोपीराम जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)
2. अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 11.3.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2389 में रकबा 1.50 हैक्टर भूमि वादी के पूर्वजो से जायज रूप से कब्जा काश्त व अधिकार मे चली आ रही है, उपरोक्त भूमि के गत खसरा नम्बर की भूमि पर वक्त जागीर से वादी के पिता गोपीराम जी को बतौर कृषक हासल पर काश्त करने हेतु तत्कालीन जागीरदा साहब के कार्मिको द्वारा सम्वत 2003–04 के आस पास हासल जागीरदारों के कार्मिको द्वारा लिया जाता रहा, गोपीराम के स्वर्गवास के बाद वादी बतौर उत्तराधिकारी निरन्तर व अबाध रूप से उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा वादी के नाम खसरा गिरदावरी–खसरा परिवर्तनशील में बतौर कृषक इन्द्राज चला आ रहा है, जागीर पुनग्रहण के बाद उक्त भूमि सरकारी खातेद में दर्ज हो गई और गत भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से या भूल से वादी के पिता के नाम खाते मे दर्ज होने से छूट गई जबकि वादी के पिता बतौर कृषक निरन्तर व अबाध रूप से उक्त भू–भाग पर काबिज रहे तथा उनके स्वर्ग़वास के बाद वादी बतौर उत्तराधिकारी निरन्तर व अबाध रूप से काबिज चला आ रहा है इसलिए एडवर्सन पजेशन का टाईटल भी वादी के पिता के पक्ष में पूर्ण हो चुका था, जो अब स्वतः जरिये उत्तराधिकारी वादी के हक में पूर्ण हो चुका है, वादी अपनी इस पैतृक भूमि की खातेदारी दर्ज कराने का हकदार है, गत भू–प्रबन्ध की गलती से उक्त नाम खाते मे छूट जाने व सरकारी खाते में उक्त भूमि दर्ज होने से नवीन भू–प्रबन्ध में भी उसी इन्द्राज की पुनरावृति हो गई तथा इसी गलती से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के [illegible] पर बेदखली हेतु नोटिस इत्यादि जारी किए जाने लगे तो वादी द्वारा अपना उज्र [illegible] गया लेकिन वादी के नाम अभी तक खातेदारी दर्ज नही की गई, तथा [illegible], अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी [illegible] कुठाराघात होगा इसलिए उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया इसलि[illegible]यह वाद लाना आवश्यक हुआ, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2389 रकबा 1.50 हैक्टर भूमि का वादी काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे, उपरोक्त खसरा नम्बर में वादी के कब्जा काश्त व अधिकारों में प्रतिवादीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल डाले तथा न ही अपने ऐजेन्टो से डलवाए, बेदखली नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे, उपरोक्त खसरा की भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2389 रकबा 38.43 हैक्टर किस्म गै.मु.खारड़ा सिवाय चक नाकाबिल काश्त राजकीय खाते में दर्ज राजकीय भूमि है, वादी द्वारा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रतिवादी को नही दिया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में गत भू–प्रबन्ध से आज तक गै.मु.खारड़ा नाकाबिल काश्त राजकीय दर्ज है वादी को इसमें कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते, अतः वाद वादी काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत 2062–2065 जमाबंदी नकल की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस नकल की छाया प्रति, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2064, धारा 91 नोटिस दिनॉक 24.07.2006 की छाया प्रति, जुर्माना रसीद 075112/20 दिनॉक 16.11.07 की छाया प्रति, 08055/0016 वर्ष 2016 की छाया प्रति, 0023266/0003 की छाया प्रति, 55174/0043 की छाया प्रति प्रस्तुत की। गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नही किये जाने से अवसर बन्द किया गया तथा प्रकरण बहस स्तर पर रखा गया।

प्रकरण में वकील वादी एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2062–65 मे ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2389 रकबा 38.43 हैक्टर किस्म गै.मु.खारड़ा राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज है, उक्त भूमि नाकाबिल काश्त योग्य है, खसरा परिवर्तनशील की छाया प्रति अनुसार वादी द्वारा सम्वत 2064 में डोल लगाकर कब्जा करना 1.50 पर अतिक्रमण की रिपोर्ट होना अंकित है, प्रस्तुत रसीदो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने पर जुर्माना आरोपित किया गया है जिसकी स्वीकारोक्ति रसीद कटाने से साफ जाहिर होती है, वादी द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर उनका पुरातन एवं पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त रहा हो ? प्रश्नगत भूमि गत सेटलमेंट से अब तक राजकीय खाते में दर्ज रही है जिसकी किस्म भी गै.मु. खारड़ा दर्ज रहती आई है, उपरोक्त भूमि की किस्म गै.मु.खारड़ा दर्ज रहती आई है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है जिसमें किसी भी सूरत में किसी को आंवटित या खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते, वादी का वाद किसी भी दृष्टि से साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज [illegible] है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल [illegible] हो।

आदेश आज दिनॉक 16.2.[illegible] [illegible] सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2010 **RCMS 2010/00036**

वादीया

1. श्रवणराम पुत्र गोपीराम जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)
2. अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 3 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी नागौर (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:27:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: